

प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक:- प. 6(2) प्र.सु./अनु-3/2000

जयपुर, दिनांक 10.4.2007

आज्ञा

राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने, प्रदूषण नियंत्रण एवं दुर्घटना के उपाय हेतु राज्य स्तर पर गठित "सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करने हेतु समिति" एवं "राज्य स्तरीय ट्रैफिक मैनेजमेन्ट की स्थाई समिति" के अतिक्रमण में उनके द्वारा संपादित कार्यों को समाहित करते हुए राज्य स्तर पर "यातायात प्रबन्धन समिति" का गठन निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

- | | |
|--|------------|
| 1. मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| 2. प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं यातायात | सदस्य |
| 3. पुलिस महानिदेशक | सदस्य |
| 4. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास | सदस्य |
| 5. प्रमुख शासन सचिव, सार्व. निर्माण विभाग | सदस्य |
| 6. अध्यक्ष, राज. राज्य पथ परिवहन निगम | सदस्य |
| 7. अध्यक्ष, राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल | सदस्य |
| 8. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | सदस्य |
| 9. प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा | सदस्य |
| 10. सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत कार्य करने वाली दो स्वयं सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष | सदस्य |
| 11. परिवहन आयुक्त | सदस्य सचिव |

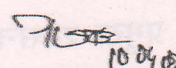
क्र.सं. 10 पर अंकित सदस्यों का मनोनयन मुख्य सचिव द्वारा एक वर्ष के लिये किया जावेगा।

समिति के विचारणीय बिन्दु-

1. परिवहन व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाना।
2. सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु उपाय।
3. उच्च/राज्य मार्गों पर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था।
4. शिक्षा संस्थाओं में यातायात नियमों का समुचित प्रचार-प्रसार।
5. सड़कों का विकास एवं रोड़ इंजीनियरिंग।
6. वाहन जनित प्रदूषण, ओवर लोडिंग, ओवर क्राउडिंग पर नियंत्रण।

यह स्थाई समिति होगी तथा इसका प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा। समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी।

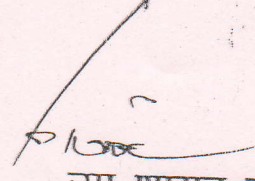
आज्ञा से,


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया/प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, यातायात मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं यातायात विभाग।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्व. निर्माण विभाग।
8. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज. राज्य पथ परिवहन निगम।

9. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज.राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा।
12. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं वि. शासन सचिव।
13. निजी सचिव, निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
14. अध्यक्ष, स्वयं सेवी संस्था 2
15. शासन उप सचिव (मु.) परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव
16/02/00

नोट:- इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(2) प्र.सु./अनु.-3/2000, दिनांक 05.02.2000 से गठित समिति एवं आदेश क्रमांक प. 6(42) प्र.सु./अनु.-3/2004, दिनांक 03.09.2004 से गठित समिति के अतिक्रमण में उपरोक्त "यातायात प्रबन्धन समिति" का गठन किया गया है।